

## कार्यालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : ५३

दिनांक : 15.12.2023

### कार्यालय आदेश

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) व 410(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **दिसम्बर 2023** एवं **जनवरी 2024** में अग्रवर्णित शासकीय अवकाशों में उदयपुर जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आवश्यक दायित्व कार्य यथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड अवधि बढ़ाने तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं अतिआवश्यक कार्य जैसे - मृत्यु कालीन कथन/इन्चवेस्ट आदेश व अन्य (जिन्हें अधोहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अतिआवश्यक प्रकृति का निर्धारित करें) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को समय **10:00 ए.एम. से 12:00 पी.एम.** के लिए अधिकृत करता हूँ :-

<b>december 2023 Remand Duty</b>			
क. सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन	मोबाईल नम्बर
1	17.12.2023	सुश्री शर्मा निर्मल जगमोहन A.C.J. & J.M. No.2 (South), Udaipur	9829513525
2	23.12.2023	श्रीमती अंजली सिंह, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.2, Udaipur	9560595669
3	24.12.2023	श्रीमती अंजली सिंह, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.2, Udaipur	9560595669
4	25.12.2023	श्रीमती अंजली सिंह, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.2, Udaipur	9560595669
5	31.12.2023	श्री मयंक प्रताप सिंह, A.C.J. & J.M. No.1 (North), Udaipur	9462662588
<b>January 2024 Remand Duty</b>			
क. सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन	मोबाईल नम्बर
1	01.01.2024	श्री मयंक प्रताप सिंह, A.C.J. & J.M. No.1 (North), Udaipur	9462662588
2	07.01.2024	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत Spl. J.M. (N.I.Cases) No.4, Udaipur	7610086088
3	13.01.2024	सुश्री साक्षी शर्मा, C.J. & J.M. (South), Udaipur	8280130020
4	14.01.2024	सुश्री साक्षी शर्मा, C.J. & J.M. (South), Udaipur	8280130020
5	21.01.2024	सुश्री शर्मा निर्मल जगमोहन A.C.J. & J.M. No.2 (South), Udaipur	9829513525
6	26.01.2024	श्री भरत पूनिया, C.J. & J.M. (North), Udaipur	9829513525
7	27.01.2024	श्री भरत पूनिया, C.J. & J.M. (North), Udaipur	9829513525
8	28.01.2024	श्रीमती मीनाक्षी चौधरी, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.1, Udaipur	9460553572

नोट : (1) उक्त वर्णित अवकाशों में जिला मुख्यालय, उदयपुर से बाहर के दंडाधिकारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के पदस्थापन क्षेत्र में उपस्थित रहने पर उनकी क्षेत्राधिकारिता में आने वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित उपर्युक्त आवश्यक कार्य उनके स्वयं के द्वारा ही किए जाएंगे तथा स्वयं की अनुपस्थिति में उपर्युक्त कार्य जिला मुख्यालय उदयपुर के दंडाधिकारी न्यायालयों हेतु अधिकृत उक्त वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किए जाएंगे। उक्त वर्णित अधिकारीगण अपने रिमाण्ड ड्युटी दिवस पर बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे व न्यायालय समय पश्चात अपने आवास पर रहकर उपर्युक्त कार्य संपादित करेंगे।

(2) किसी भी राजकीय/स्थानीय अवकाश दिवस के पूर्व अथवा पश्चात कार्य दिवस को किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में घोषित अवकाश दिवस हेतु रिमाण्ड ड्युटी, घोषित अवकाश के निकटतम पूर्व/पश्चात अवकाश दिवस हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वहन की जाएगी।

(3) यदि कोई न्यायिक अधिकारी किसी कारणवश अपनी रिमाण्ड ड्युटी करने में असमर्थ रहता है तो वह अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त रिमाण्ड ड्युटी निर्वहन किए जाने का सामंजस्य कर तथा सहमति का अपने पत्र में अंकन करके ही पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर (राज.)  
दिनांक : 15/12/23

क्रमांक - स्थापना/2023/ 1552-1558  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक को अधीनस्थ थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमाण्ड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. समस्त अधीनस्थ दंडाधिकारी न्यायालय, उदयपुर।
4. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को एपीपी की ड्युटी की व्यवस्था हेतु।
5. श्री अमोल शांडिल्य, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. वार एसोसिएशन, उदयपुर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर (राज.)

o/c